वाक्य विचार

उच्चरित ध्वनियों के वर्ण के रूप में अंकन से लिखित भाषा का प्रारंभ होता है । वर्णों के समूह जब शब्द का स्वरूप धारण करते हैं तो उनमें अर्थ की संभावनाएँ पैदा होती हैं । भाषा में निरर्थक शब्दों का कोई महत्त्व नहीं होता । भाषा सार्थक शब्दों को स्वीकार कर उनमें अर्थवत्ता, संगति निर्वाह आदि को योग्यता प्रदान करती हुई उन्हें अपनी विभक्तियों से युक्त कर पद की संज्ञा देती है । उन पदों के सहारे ही सोद्देश्य तथा सुव्यवस्थित संघटन से, अभिव्यक्ति को पूर्णता देने वाले वाक्य की संरचना होती है ।

इस तरह **वाक्य** भाषा की पहली पूर्ण सार्थक इकाई है । **विचारों या भावों को पूर्णतया व्यक्त कर देने में सक्षम, सार्थक तथा सुव्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहा जाता है ।**

वाक्य में पदों का अर्थवान होना, उनकी आपसी क्रमिकता और प्रयोग की एकरूपता (सर्वमान्यता) अनिवार्य होती है । इन गुणों के अभाव में सार्थक शब्दों का समूह भी निरर्थकता का शिकार हो जाएगा ।

पूर्ण तथा स्पष्ट अर्थ की प्रतीति के लिए विद्वानों ने वाक्य में तीन विशेषताओं का होना आवश्यक बताया है । ये हैं -

1. आकांक्षा 2. योग्यता 3. आसत्ति

1. आकांक्षा : वाक्य में प्रयुक्त पदों के पूर्वापर संबंध को आकांक्षा कहा जाता है । एक पद अपने प्रयोग या उच्चारण के साथ ही दूसरे के प्रति जिज्ञासा पैदा कर देता है और इस तरह प्रत्येक पद का आपसी पूर्वापर जिज्ञासामूलक संबंध वाक्य के रूप में कथा को पूर्णता प्रदान करता है ।

एक वाक्य है - "शहर में सुबह देर से होती है ।"

इसमें कुल सात पद हैं । इन सभी पदों के अपने-अपने अलग अर्थ हैं । फिर भी सबके बीच पूर्वापर आकांक्षा की एकसूत्रता निहित है । 'शहर' कहते ही श्रोता के मस्तिष्क में शहर का बिंब उभरता है और उसके अंदर जिज्ञासा या आकांक्षा उभरती है कि वक्ता शहर के विषय में आगे क्या बताना चाह रहा है। अगले पद में 'में' आकांक्षा की शक्ति बनाए रखकर उसे अग्रसारित करने की विशिष्टता निहित दिखती है और इस तरह अगले पदों से होती हुई यह आकांक्षा वाक्य को पूर्णता तक पहुँचा कर ही रुकती है ।

वाक्य की यह आकांक्षा परवर्ती ही नहीं पूर्ववर्ती पदों के प्रति भी उत्तरदायिनी होती है । इस आकांक्षा के टूटते ही वाक्य के परवर्ती-पूर्ववर्ती सारे पद बिखर जाते हैं । देखिए - "शहर में सुबह जंगल से होती है ।"

इस वाक्य में एक पद 'जंगल' ऐसा है जिसमें न पिछले पद के प्रति कोई जिज्ञासा या आकांक्षा जग पाती है और न ही आगे के पदों के प्रति वह कोई उत्सुकता पैदा करता है । वह जो उत्सुकता पैदा करता है उसका अन्य पूर्ववर्ती और परवर्ती पदों से कोई संबंध नहीं बनता ।

2. योग्यता : वाक्यार्थ की उपलब्धि में पदों की अर्थबोधन क्षमता की सहभागिता को योग्यता कहते हैं ।

''शहर में सुबह देर से होती है'' वाक्य में शहर, सुबह, देर आदि सभी पदों के अपने-अपने स्वतंत्र अर्थ हैं और वाक्य अपने पदों की अर्थबोधन क्षमता का योग्यतापूर्वक उपयोग करते हुए अपना एक संपूर्ण अर्थ व्यंजित कर रहा है । इस योग्यता के अभाव में शब्दों में अर्थबोधन क्षमता के बावजूद वाक्य का अर्थ बाधित हो जाता है । योग्यताविहीनता में वाक्यार्थ दो तरह से बाधित होते हैं -

(क) अर्थ की दृष्टि से (ख) अन्वय की दृष्टि से

(क) अर्थ की दृष्टि से : अर्थ की दृष्टि से वाक्य के अर्थबोधन में तब बाधा पड़ती है जब उसमें कोई अनुपयुक्त अर्थ वाला पद प्रयुक्त हो जाता है ।

''शहर में सुबह **जंगल** से होती है' कहने पर जंगल पद अर्थ प्रतीति में बाधा पैदा करता है जबकि इसमें व्याकरण की दृष्टि से पदक्रम सही है ।

(ख) अन्वय की दृष्टि से : अन्वय की दृष्टि से योग्यता को बाधित करने का कारण पदों की व्याकरणिक अन्वितिविहीनता होती है ।

''शहर में सुबह देर से **होता** है ।'' में अन्विति का अभाव (क्रिया का पुल्लिंग में होना) वाक्य के पूरे अर्थ को बाधित कर देता है ।

3. आसत्ति : आसत्ति समीपता को कहते हैं । यह वाक्य के पदों के बीच समुचित समीपता रख वाक्य के अर्थबोधन को पुष्टि तथा स्पष्टता प्रदान करती है । सार्थक वाक्यगठन के लिए आवश्यक होता है कि उसकी पदव्यवस्था में देश (स्थान) और काल का ध्यान रखा जाए । लेखन में यदि एक पद इस पृष्ठ पर और दूसरा किसी अन्य पृष्ठ पर रखा जाए या बोलने में 'शहर' अभी बोला जाए और 'में' या 'सुबह' परसों बोला जाए तो सब कुछ ठीक रहने के बावजूद अर्थबोधन पूर्णत: बाधित हो जाएगा ।

आसत्ति के ही संदर्भ में समीपता के अतिवाद से परहेज भी समझना चाहिए ।

''शहर मेंसु बहदे रसेहो तीहै ।'' इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल सकता यानी आसत्ति के औचित्य का ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है ।

पदक्रम

वाक्य गठन में प्रयुक्त पदों के क्रम का भी महत्त्वपूर्ण स्थान होता है । हिंदी भाषा में सामान्य क्रम कर्ता-कर्म-क्रिया का होता है । कुछ वाक्य देखें -

राम रोटी खाता है । (कर्ता - कर्म - क्रिया - सहायक क्रिया)

राम मोहन को पीटता है । (कर्ता - कर्म - विभक्ति - क्रिया - सहायक क्रिया)

''राम कल ही पटना से मँगाए गए पके आम खा रहा है ।''

कर्ता - कर्म का विशेषण (विशेषण पदबंध) - कर्म - क्रिया - सहायक क्रिया ।

उपर्युक्त वाक्यों के क्रम में यदि फेरबदल कर दिया जाए तो अनर्थ हो जाएगा । 'रोटी राम खाता है'', ''मोहन राम को पीटता है ।'' या ''राम पटना से मँगाए गए पके आम कल ही खा रहा है ।'' इन तीनों वाक्यों में क्रम निर्वाह बाधित है इसलिए वाक्यों के अर्थ भी पूरी तरह बिखर गए हैं ।

कारकों की विभक्तियों के प्रयोग में भी यह क्रम निर्वाह आवश्यक होता है ।

अन्वय

वाक्य में प्रयुक्त पदों के पारस्परिक उचित संबंध या मेल को अन्वय कहा जाता है ।

कर्ता, कर्म, क्रिया, विशंषण, विशेष्य, क्रियाविशेषण आदि के पारस्परिक संबंधों में औचित्य का निर्वाह आवश्यक होता है । यदि ऐसा न हो तो वाक्य का अर्थ पूर्णतः बाधित हो जाता है । 'परीक्षा पास करने के लिए मोहन रातभर पढ़ता है ।" इस वाक्य में सारे पदों में अन्विति का निर्वाह हुआ है । इसलिए इसके अर्थ के बोध में कोई बाधा नहीं पड़ती । इसी को यदि ऐसे कहा जाए कि – "परीक्षा पास करने को लिए मोहन रातभर पढ़ते हैं ।" तो इसमें 'लिए' के साथ कर्म के परसर्ग 'को' तथा एकवचन कर्ता 'मोहन' के साथ बहुवचन क्रिया की अन्विति नहीं बैठ पाती । इस तरह वाक्य का अर्थ सही रूप में हाथ नहीं लग पाता ।

वाक्य के अंग

वाक्य के दो अंग माने गए हैं – (क) उद्देश्य (ख) विधेय

मोहन पुस्तक पढ़ता है ।

बाघ एक जंगली जानवर है ।

यामिनी मेरी पत्नी है ।

सुनीता स्नातक की परीक्षा पास कर गई है ।

उपर्युक्त वाक्यों में मोहन, बाघ, यामिनी और सुनीता उद्देश्य हैं । ये उद्देश्य जो करते हैं या हैं उसका कथन ही विधेय है ।

(क) उद्देश्य : जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में मोहन, बाघ, यामिनी और सुनीता के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए ये उद्देश्य हैं।

(ख) विधेय : उद्देश्य के विषय में बताने के लिए जिस पद (या पदों) का प्रयोग होता है उसे विधेय कहते हैं ।

उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ता, जानवर, पत्नी और पास करना विधेय हैं । परंतु हम देख रहे हैं कि उपर्युक्त वाक्यों में दो ही पद नहीं हैं । अन्य पदों का प्रयोग या तो उद्देश्य के अंग के रूप में हुआ है या विधेय के अंग के रूप में । ये आंगिक पद उद्देश्य तथा विधेय का विस्तार सूचित करते हैं।

उद्देश्य का विस्तार : उद्देश्य का विस्तार विशेषण, संबंधबोधक विशेषण, समानाधिकरण तथा पदबंध से होता है । तात्पर्य यह कि वाक्य में ये उद्देश्य यानी कर्ता के अंग होते हैं । जैसे – आलसी परंतु पढ़ने में तेज रमेश रोज स्कूल जाता है ।

उद्देश्य (रमेश) की विशेषता सूचित करने वाले विशेषण पदबंध को उद्देश्य का विस्तार कहा जाएगा।

विधेय का विस्तार : इसी तरह विधेय का विस्तार क्रिया, कर्म, विधेय, विशेषण, क्रियाविशेषण, पूर्णकालिक कृदंत आदि से होता है ।

वह लड़का रोज स्नान तथा भोजन करके पैदल स्कूल जाता है ।

इस वाक्य में 'वह लड़का' तो विस्तारित उद्देश्य है ही, 'जाता है' विधेय का विस्तार 'स्कूल' कर्म,

'पैदल' क्रियाविशेषण, 'रोज स्नान तथा भोजन करके' पूर्वकालिक क्रिया तक फैला हुआ है ।

पदबंध

वाक्य में प्रयुक्त पदों के उस सार्थक समूह को **पदबंध** कहते हैं जो वाक्य का एक अंश मात्र होने के कारण पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता ।

एक पूर्ण व्यवस्थित वाक्य का अंश होने के कारण पदबंध के पदों में पूर्ण क्रमिकता और अन्विति होती है ।

संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रियाविशेषण आदि के रूप में एक निश्चित सार्थक स्वरूप पा लेने के कारण इसे पदों का बंध कहा जाता है । किसी भी तरह के अनेक पदों के समूह को पदबंध नहीं कहा जा सकता ।

पदबंध वाक्यांश भी कहे जाते हैं ।

पदबंध के भेद : पदबंध के मुख्य चार भेद माने गए हैं -

(क) संज्ञा पदबंध (ख) विशेषण पदबंध (ग) क्रिया पदबंध (घ) क्रियाविशेषण पदबंध

द्रष्टव्य - "भारत के पूर्व रक्षामंत्री बाबू जगजीवनराम कर्मठ तथा लोकप्रिय जननेता भी थे । वे समाज तथा देशसेवा में अथक रूप से आजीवन लगे रहे ।"

उपर्युक्त गद्यांश में प्रथम रेखांकित पदबंध **संज्ञा पदबंध** है । द्वितीय रेखांकित अंश विशेषण **पदबंध** है । तृतीय अंश **क्रियाविशेषण पदबंध** है । चतुर्थ रेखांकित अंश **क्रिया पदबंध** है । इनके अलावा विद्वानों ने सर्वनाम पदबंध और विस्मयादिबोधक पदबंध का भी उल्लेख किया है । जैसे -

सर्वनाम पदबंध - दिनभर का हारा-थका वह, फूलों की सेज पर सोने वाले आप....।

विस्मयादिबोधक पदबंध - वाह रे आसमान छूते मेरे भाग्य के सितारे....!

मुहावरे भी पदबंध होते हैं । कहावतों को पदबंध नहीं माना जा सकता ।

उपवाक्य

पदबंध और वाक्य के बीच यदा-कदा उपवाक्य की भी स्थिति पाई जाती है । जैसे - भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना को आग और पानी से हमेशा खतरा बना रहेगा ।

यह वाक्य संज्ञापद (कर्ता) भगवान बुद्ध से प्रारंभ होकर क्रिया पद 'रहेगा' पर समाप्त होता है, कथन को पूर्णता 'रहेगा' पर ही मिलती है, इसलिए यह वाक्य एक है । इस वाक्य में पूर्ण वाक्य के सारे अंग से युक्त दो वाक्य इसके अंग बने हुए हैं' - "भगवान बुद्ध ने कहा था" और "पटना को आग और पानी से हमेशा खतरा बना रहेगा ।" ये दोनों वाक्य एक बड़े पूर्ण वाक्य के अंग हैं इसलिए उन्हें (दोनों को) उपवाक्य कहा जाता है ।

उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य कहलाता है । आश्रित उपवाक्य अनेक भी हो सकते हैं ।

उपर्युक्त उदाहरण में दोनों उपवाक्यों की स्थिति इस प्रकार है -

(क) भगवान बुद्ध ने कहा था - प्रधान उपवाक्य

(ख) पटना को आग और पानी से हमेशा खतरा बना रहेगा - आश्रित उपवाक्य

वाक्य के भेद

वाक्यों के वर्गीकरण के तीन आधार बताए जाते हैं -

1. अर्थ की दृष्टि से
2. क्रिया की दृष्टि से
3. रचना की दृष्टि से

1. अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल आठ भेद माने गए हैं -

(i) विधिवाचक	(ii) निषेधवाचक	(iii) आज्ञावाचक	(iv) प्रश्नवाचक
(i) विस्मयवाचक	(vi) इच्छाबोधक	(vii) संदेहवाचक	(viii) संकेतवाचक

(i) विधिवाचक या विधानवाचक : जिससे किसी कार्य के विधान यानी होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहा जाता है । जैसे - शिक्षक स्नान कर रहे हैं । छात्र व्यायाम कर चुके । माता रोटी बेल रही है ।

कर्ता (शिक्षक, छात्र, माँ) के द्वारा कार्य किए जाने का अर्थ निकलता है इसलिए इस वाक्य को विधि वाचक वाक्य कहेंगे ।

(ii) निषेधवाचक : विधि शब्द का विपरीतार्थक होता है निषेध । जिस वाक्य से किसी कार्य के नहीं होने का अर्थ निकले उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं । जैसे - शिक्षक स्नान नहीं कर रहे हैं । छात्र व्यायाम नहीं कर रहे हैं ।

(iii) प्रश्नवाचक : जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या नहीं होने के संबंध में प्रश्नात्मकता का अर्थ निकले उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं । जैसे - क्या आप भोजन कर रहे थे ? आप भोजन कब करेंगे ? आप पढ़ते क्यों नहीं हैं ? महाविद्यालय कब खुलेगा ? आप मेरी बात सुन रहे हैं ?

(iv) आज्ञावाचक : इस वर्ग के वाक्य आज्ञार्थक होते हैं । उपदेश, चेतावनी, प्रार्थना या अनुरोध के अर्थवाले वाक्य भी आज्ञार्थक ही कहे जाते हैं । जैसे - व्याकरण पढ़ो ! आप दस अक्तूबर तक प्रभार ग्रहण कर लें ! कुत्ते से सावधान रहें ! हे ईश्वर, इसे सद्‌बुद्धि देना ! अध्यक्ष महोदय आसन ग्रहण करें !

(v) संदेहवाचक : संदेह, शंका या संभावना से युक्त कथन वाले वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है । जैसे - साँप है कि रस्सी है ! बगल वाला आदमी जेबकतरा तो नहीं ! लगता है वर्षा आएगी ! अभी तो वह सो रहा होगा ! महीने भर में यह पुस्तक तैयार होगी या नहीं ! इतना भारी आपसे उठ सकेगा !

(संदेहवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक का भ्रम पैदा करते हैं । इसलिए संदेहवाचक वाक्य लिखते वक्त प्रश्नसूचक चिह्न कभी नहीं देना चाहिए । इसमें विस्मयादिबोधक (या अनिश्चयवाचक) चिह्न (!) का प्रयोग करना चाहिए ।

(vi) विस्मयवाचक : जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक आदि का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं । जैसे - वाह, काम तो आपने किया है ! इतना बड़ा सर्प ! हाय, भगवन, ऐसी निर्दयता !

(vii) इच्छावाचक : किसी कार्य के करने या होने की कामना का जहाँ बोध हो वह वाक्य **इच्छावाचक** कहा जाता है । जैसे – सफलता आपके चरण चूमे ! इस परीक्षा में आप प्रथम श्रेणी में **प्रथम स्थान** प्राप्त करें ! मेरे पास भी एक गाड़ी हो ! मेरा अपना मकान हो ! दूधो नहाओ पूतो फलो ! तुम्हारा **नाश** हो जाए !

(viii) संकेतवाचक : जिससे किसी शर्त या संकेत का बोध हो वह संकेतवाचक वाक्य **कहा** जाता **है** । जैसे – चाहें तो सुबह चले जाएँ । आप आएँ तो मैं साथ चलूँगा ।

2. क्रिया की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद माने गए हैं –

(i) कर्तरि वाक्य (ii) कर्मणि वाक्य (iii) भावे वाक्य

(I) कर्तरि वाक्य : क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष यदि कर्ता के अनुसार हैं तो वह वाक्य कर्तरि (कर्ता **प्रधान**) कहा जाता है । जैसे – भगवान सब देखता है । हमलोग सब जानते हैं ।

(ii) कर्मणि वाक्य : कर्मणि वाक्य कर्मप्रधान होता है । इसमें क्रिया के लिंग-वचन-पुरुष कर्म के **लिंग**-वचन-पुरुष के अनुसार हो जाते हैं । जैसे – सूचना दे दी जाएगी । जहीर द्वारा गेंद लपक ली गई । **नियम** बता दिए जाएँगे ।

(iii) भावे वाक्य : जब कर्ता तथा कर्म दोनों से अलग यदि वाक्य में भाव की प्रधानता हो जाए तो **उसे** भावे वाक्य कहा जाता है । भावे वाक्य में क्रिया अनिवार्यत: एकवचन पुल्लिंग में होती है । जैसे – **रात** सोया नहीं गया । सीता से अब चला नहीं जाता । अब बढ़ा नहीं जाता ।

3. रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं –

(i) सरल वाक्य (ii) संयुक्त वाक्य (iii) मिश्रवाक्य

(i) सरल वाक्य : जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय यानी एक ही क्रिया हो उसे सरल **वाक्य** कहते हैं । जैसे – मोहन पढ़ता है ।

उद्देश्य (1)	विधेय (1)	सरल वाक्य
मोहन	पढ़ता है (क्रिया)	मोहन पढ़ता है ।

इसमें उद्देश्य और विधेय के विस्तार संभव हैं परंतु ये होते एक-एक ही हैं ।

(ii) संयुक्त वाक्य : दो या दो से अधिक सर्वथा स्वतंत्र तथा पूर्ण वाक्यों के समुच्चयबोधक अव्ययों **से जुड़ने** पर जो एक वाक्य बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं । ये समुच्चयबोधक अव्यय समानाधिकरण **होते** हैं । जैसे – और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या इत्यादि ।

(क) नामवर सिंह आए और वे दो घंटे तक व्याख्यान देते रहे । (दो सरल वाक्य)

(ख) डॉक्टर आया, रोगी को देखा और उसे तत्काल सूई लगाई । (तीन सरल वाक्य)

(ग) गुरुदेव द्वारिका गए थे और वहीं से संदेश भेजा था कि सब लोग यज्ञ की तैयारियाँ शुरू कर **दें** । (एक प्रधान उपवाक्य तथा एक मिश्रवाक्य का योग ।)

(iii) मिश्रवाक्य : यदि एक प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हों तो उनसे बना **वाक्य** मिश्रवाक्य कहलाता है ।

मिश्रवाक्य के उपवाक्य कारणसूचक, परिणामसूचक और उद्देश्यसूचक समुच्चयबोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं । इनमें प्रमुख हैं – कि, क्योंकि, चूँकि, ताकि, जितना, जिससे, यद्यपि, तथापि, जो, तो, चाहे, यानी, मानो, इसलिए, अतः, अतएव, सो आदि । (इसमें संकेतसूचक अव्यय भी होते हैं)

इन अव्ययों के एक प्रधान उपवाक्य पर अन्य उपवाक्यों का आश्रित होना सूचित होता है ।

"राम यहाँ आया और मोहन चला गया" संयुक्त वाक्य है । इसमें दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हैं।

जबकि "राम यहाँ आया इसलिए मोहन चला गया" मिश्रवाक्य हो जाता है क्योंकि प्रधान उपवाक्य 'राम यहाँ आया' पर दूसरा उपवाक्य "मोहन चला गया" आश्रित है । 'इसलिए' कारणसूचक समुच्चयबोधक अव्यय है । कार्य-कारण न्याय के आधार पर उपवाक्य अंगी तथा आश्रित उपवाक्य अंग हो जाता है । अंगी वाक्य के बिना अंगवाक्य संभव नहीं हो सकता इसलिए इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं ।

आश्रित उपवाक्यों के भेद :

उपवाक्यों के तीन भेद प्रमुख हैं –

(i) संज्ञा उपवाक्य

(ii) विशेषण उपवाक्य

(iii) क्रियाविशेषण उपवाक्य

(i) संज्ञा उपवाक्य : जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की भूमिका निभाते हैं उन्हें संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहा जाता है ।

(ii) विशेषण उपवाक्य : विशेषण आश्रित उपवाक्य उसे कहा जाता है जिसका प्रयोग वाक्य में विशेषण की तरह होता है ।

(ii) क्रियाविशेषण उपवाक्य : क्रियाविशेषण उपवाक्य अपने संपूर्ण वाक्यात्मक रूप में ही क्रियाविशेषण का काम करते हैं ।

उदाहरणों से इन तीनों के अंतर देखें :

संज्ञा उपवाक्य	विशेषण उपवाक्य	क्रियाविशेषण उपवाक्य
दिनेश ने कहा था कि वह व्याकरण पढ़ने जा रहा है।	सम्मान वह पाता है जो सबको सम्मान देता है।	जब आप से मिलता हूँ तो मन पुलकित हो जाता है।

(i) 'दिनेश ने कहा था' प्रधान उपवाक्य है और 'वह व्याकरण पढ़ने जा रहा है' कर्तारूपी संज्ञा पर आश्रित उपवाक्य है । इसमें व्याकरण पढ़ने की क्रिया करने वाले कर्ता का स्वरूप स्वतः उभरता है ।

(ii) 'सम्मान वह पाता है' प्रधान उपवाक्य हो गया और 'सबको सम्मान देता है' विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यह सम्मान पाने वाले की विशेषता बताता है ।

(iii) आपसे मिलता हूँ क्रियाविशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि मन पुलकित हो जाने की मुख्य क्रिया का यह कारण रूप विशेषता बताता है । इनका प्रारंभ जब, वहाँ, जिससे, अतः, अगर, यद्यपि, चाहे, जो आदि अव्ययों से होता है ।

वाक्यविश्लेषण

वाक्यविश्लेषण में हम देखते हैं कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय से संबद्ध पद और उनके विस्तार

वाले कौन-कौन से पद हैं । यह सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रवाक्य तीनों का होता है । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं -

(i) सरल वाक्य – (क) महेश रोटी खाता है ।

(ख) रघुजी का पुत्र महेश मक्के की रोटी खाता है ।

उपर्युक्त दोनों वाक्यों का विश्लेषण करते हुए ध्यान रखना आवश्यक है कि कर्ता उद्देश्य होता है और कर्म तथा क्रिया आदि विधेय के अंतर्गत आते हैं । इस प्रक्रिया को तालिका बनाकर प्रस्तुत करना व्यावहारिक होगा -

	उद्देश्य		विधेय		
	उद्देश्य	उद्देश्य का विस्तार	क्रिया	कर्म	विधेय का विस्तार
1	महेश	....	खाता है	रोटी	....
2	महेश	रघुजी का पुत्र	खाता है	रोटी	मक्के की

(ii) संयुक्त वाक्य

संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में भी तालिका का उपयोग होता है । बिना तालिका के भी अलग-अलग अंगों को विश्लेषित रूप में अंकित किया जा सकता है ।

वाक्य - 1. मोहन दौड़ता हुआ घर आया और अपनी माँ से पूछा कि पिताजी कितनी देर पहले घर से गए हैं ।

2. मोहन घर आया और वह भोजन कर पुनः चला गया ।

आप देख रहे हैं कि इन संयुक्त वाक्यों में एकाधिक उद्देश्य तथा विधेय हैं । इनके विश्लेषण में निम्नलिखित क्रम रखेंगे -

विश्लेषणीय वाक्य - 1

1. संयुक्त वाक्य - मोहन दौड़ता हुआ घर आया और अपनी माँ से उसने पूछा कि पिताजी कितनी देर पहले घर से गए हैं ।
2. प्रधान उपवाक्य - मोहन दौड़ता हुआ घर आया । (सरल वाक्य)
3. आश्रित उपवाक्य - अपनी माँ से उसने पूछा कि पिताजी कितनी देर पहले घर से बाहर गए हैं । (मिश्र वाक्य)
4. प्रधान उपवाक्य - अपनी माँ से उसने पूछा ।
5. आश्रित उपवाक्य - पिताजी कितनी देर पहले घर से गए हैं ?
6. उद्देश्य - मोहन, उसने, पिताजी ।
7. विधेय - दौड़ता हुआ घर आया, अपनी माँ से पूछा, कितनी देर पहले घर से गए हैं ?
8. क्रिया - आया, पूछा, गए हैं ।

9. क्रिया का विस्तार - दौड़ता हुआ, अपनी माँ से, कितनी देर पहले ।
10. कर्म - माँ से ।
11. समुच्चयबोधक अव्यय - और, कि ।

विश्लेषणीय वाक्य - 2

1. संयुक्त वाक्य - मोहन घर आया और भोजन करके वह पुनः चला गया ।
2. प्रधान संज्ञा उपवाक्य - मोहन घर आया ।
3. उद्देश्य - मोहन, वह ।
4. विधेय - घर आया ।
5. कर्म - घर, भोजन ।
6. क्रिया - आया, चला गया ।
7. क्रिया का विस्तार - पुनः ।
8. समुच्चयबोधक अव्यय - और ।

(iii) मिश्रवाक्य

मोहन कह रहा है कि वह पटना जा रहा है ताकि वहाँ अपने गुरुजी से मिले जो बहुत बड़े विद्वान हैं ।

1. मिश्रवाक्य - मोहन कह रहा है कि वह पटना जा रहा है ताकि वहाँ वह अपने गुरुजी से मिले जो बहुत बड़े विद्वान हैं ।
2. प्रधान उपवाक्य - मोहन कह रहा है ।
3. आश्रित संज्ञा उपवाक्य - वह पटना जा रहा है ।
4. आश्रित क्रियाविशेषण उपवाक्य - ताकि वहाँ अपने गुरुजी से मिल सके ।
5. आश्रित विशेषण उपवाक्य - जो बहुत बड़े विद्वान हैं ।
6. समुच्चयबोधक अव्यय - कि, ताकि, जो ।
7. उद्देश्य - मोहन, वह, जो ।
8. विधेय - कह रहा है, पटना जा रहा है, अपने गुरुजी से मिल सके, बहुत बड़े विद्वान हैं ।
9. विधेय का विस्तार - पटना, वहाँ, गुरुजी, जो बहुत बड़े विद्वान ।
10. क्रिया - कह रहा है, जा रहा है, मिल सके, हैं ।

वाक्य संश्लेषण

श्लेष शब्द का अर्थ होता है संयोग । यह संज्ञा है । इस शब्द में सम उपसर्ग मिलकर इसके अर्थ को और बल देता है और संश्लेषण क्रिया मिलाना या संयोग करना का अर्थ देती है ।

अलग-अलग वाक्यों को एक में मिलाने या उनमें संयोग करने के कार्य को वाक्य संश्लेषण कहा जाता है ।

अनेक सरल वाक्यों को एकसाथ मिलाकर एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रवाक्य बनाया जाता है । उदाहरण -

अनेक सरल वाक्य - लड़की कार से उतरी । सामने की पुस्तक दुकान पर गई । उसने पाँच पुस्तकें खरीदीं । पुस्तकें खरीदने के बाद वह वापस चली गई ।

सरल वाक्य - कार से उतरी लड़की सामने की पुस्तक की दुकान से पाँच पुस्तकें खरीद कर वापस चली गई ।

संयुक्त वाक्य - लड़की कार से उतरकर सामने की पुस्तक की दुकान पर गई और पाँच पुस्तकें खरीद कर वापस चली गई ।

मिश्र वाक्य - पाँच पुस्तकें खरीदने के बाद वह लड़की वापस चली गई जो कार से उतर कर सामने की दुकान पर गई थी ।